

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(जुलाई, 2007 सत्र)

(दिनांक 09 जुलाई, 2007 से 19 जुलाई, 2007 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक		
1	2	3	4		
वर्ग – 1					
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री				
जन शिकायत निवारण	"				
ऊर्जा	"				
जनसंपर्क	"			09 जुलाई, 2007	19 जून, 2007
विमानन	"			13 जुलाई, 2007	22 जून, 2007
खनिज साधन	"			19 जुलाई, 2007	27 जून, 2007
वित्त	"				
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	"				
वाणिज्यिक कर	"				
बीस सूत्र कार्यान्वयन	"				
नगरीय प्रशासन एवं विकास	"				
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य				
चिकित्सा शिक्षा	"				
महिला एवं बाल विकास	राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास				
समाज कल्याण	"				
वर्ग – 2					
राजस्व एवं पुनर्वास	राजस्व मंत्री				
विधि एवं विधायी कार्य	"				
संस्कृति	"			10 जुलाई, 2007	19 जून, 2007
पर्यटन	"			16 जुलाई, 2007	23 जून, 2007
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"				
वन	"				
खेल एवं युवक कल्याण	"				
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री				
आवास एवं पर्यावरण	"				
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
वर्ग – 3					
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री				
संसदीय कार्य	"				
उच्च शिक्षा	"			11 जुलाई, 2007	20 जून, 2007
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	"			17 जुलाई, 2007	25 जून, 2007
तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	"				
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री				
कृषि	कृषि मंत्री				
पशुपालन	"				
मछली पालन	"				
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	"				

विभाग	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक
1	2	3	4

वर्ग - 4

जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री	} 12 जुलाई, 2007 18 जुलाई, 2007 21 जून, 2007 26 जून, 2007	
आयाकट	"		
श्रम	"		
परिवहन	"		
गृह	गृह मंत्री		
जेल	"		
सहकारिता	"		
लोक निर्माण	राज्य मंत्री, लोक निर्माण		
वाणिज्य एवं उद्योग	"		
सार्वजनिक उपक्रम	"		
ग्रामोद्योग	"		

- नोट :- 1. विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये विभागों के संपूर्ण वर्ग को लागू होंगे.
2. सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में कार्यालय समय में प्राप्त की जावेगी.
3. प्रश्नों की सूचना छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी.
4. फैंक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएगी.

रायपुर :

दिनांक : 15 जून, 2007

देवेन्द्र वर्मा

I fpo]

NRrh I x< fo/kku I Hkk

पृ.क्र. 6831/वि.स./प्रश्न/2007

रायपुर, दिनांक : 15 जून, 2007

प्रतिलिपि :-

1. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा

देवेन्द्र वर्मा

I fpo]

NRrh I x< fo/kku I Hkk